राजस्थान सरकार/कृषि विपणन निदेशालय के निर्देशानुसार

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर (राज.)

द्वारा संचालित

"किसान कलेवा योजना 2014"

किसान कलेवा योजना अन्तर्गत रियायती दर 5/– रू में भोजन उपलब्ध

मुख्यमण्डी प्रांगण बाडमेर मे कृषि जिन्स विपणन हेतु लाने वाले प्रत्येक कृषक व उसके सहयोगी एंव मण्डी के रजिस्टर्ड हमाल/मजदूर को कूपन व्यवस्था के माध्यम से मण्डी प्रागण से संचालित केन्टीन भवन मे उस दिन सस्ता एंव पोष्टिक भोजन उपलब्ध है। भोजन की एक थाली मे निम्न प्रकार भोजन दिया जावेगा :–

1. चपाती – 8 (250 ग्राम आटा गेहूं का)
2. दाल – एक कटोरी (125 ग्राम)
3. सब्जी – एक कटोरी (125 ग्राम)
4. सर्दियो मे (अक्टूबर से मार्च तक) 50 ग्राम गुड़ एंव गर्मियो मे (अप्रेल से सितम्बर) 200 मिली छाछ

भोजन के कूपन मण्डी गेट पर कृषि जिन्सों के वाहन की एन्ट्री करते समय दिये जावेगें। मण्डी प्रांगण के प्रवेश द्वार पर कृषक अपनी उपज का प्रवेश पत्र प्राप्त करने पर प्रति वाहन अधिकतम दो व्यक्तियों का कूपन किसान कलेवा योजना का एक कूपन एंव रजिस्टर्ड हमाल/मजदूर को एक कूपन 'किसान कलेवा योजना' का मण्डी समिति कर्मचारी द्वारा जारी किया जावेगा। कूपनधारी को उसी दिन समय पर भोजन करना होगा।

कृषक भाईयो से अनुरोध है कि इस सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
प्रशासक

(डॉ. झब्बरसिंह)
सचिव